सत्र परीक्षण सं० 1476/16

सरकार बनाम मनीष चौधरी आदि

9-10-2018

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर अभियुक्त संसार सिंह एवं मनोज उर्फ रामकरन को छोड कर अन्य सभी अभियुक्तगण जेल से उपस्थित आये । अभियुक्त शेखर को जिला कारागार ललितपुर से एवं अभियुक्त मनीष जिला कारागार बस्ती से उपस्थित कराया गया । गवाहान इन्द्रपाल सिंह,यशपाल एवं हुकुम सिंह उपस्थित है । अभियुक्तगण संसार सिह एवं मनोज उर्फ रामकरन के विव्दान अधिवक्ता ने इस आशय का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है कि उपरोक्त अभियुक्तगण संसार सिंह एवं मनोज उर्फ रामकरन को जिला कारागार से उपस्थित नही कराया गया है। धारा 273 अधिनियम के अनुसार प्रार्थीगण को अपने सम्मुख साक्ष्य कराने का अधिकार प्रदान किया गयाहै । अभियुक्तगण मनोज व संसार सिंह द्वारा अधिवक्ता को अपनी अनुपस्थिति में साक्ष्य अंकित न कराने एवं अपनी उपस्थितिमें साक्ष्य अंकित कराने हेतु निर्देशित किया गया है । अतः अभियुक्त मनोज एवं संसार सिंह को प्रशासन द्वारा प्रस्तुत न कराये जाने के कारण साक्षीगण की साक्ष्य अंकित नही करायी जा सकी है ।

पत्रावली में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा धारा 309 दं०प्र०सं० के प्रावधानों के अनुसार सत्र वाद का परीक्षण किए जाने का निर्देश दिया गया है परन्तु सभी अभियुक्तगण कारागार में निरूद्ध होने के बाबजूद प्रशासन द्वारा जानबूझ कर अभियुक्तगण को परीक्षण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत नही किया जा रहा है ऐसा प्रतीत होता है कि प्रशासन जानबूझ कर अभियुक्तगण को न्यायालय में उपस्थित न करा कर ,मामले केा निस्तारण नही कराना चाहता है । अतः अभियुक्तगण की उपस्थिति न्यायालय में सुनिश्चित कराने हेतु डी एम एवं गृह सचिव उ०प्र० शासन को पुनः पत्र जारी हो ।

वादी की ओर से अनुपस्थित अभियुक्तगण की पत्रावली अलग करके , गवाही अंकित कराये जाने हेतु प्रार्थनापत्र यह कहते हुए प्रस्तुत किया गया है कि प्रस्तुत मामले में कुछ अभियुक्तगण शासनादेश से अन्य जिले की जेलो में निरूद्ध है , जो कि न्यायालय में उपस्थित नही होते । मुलजिम के अधिवक्ता धारा 273 दं०प्र०सं० के तहत गवाही नही होने देते है । गवाहान को अपनी जान का खतरा है तथा माननीय उच्च न्यायालय का शीघ्र निस्तारण का भी आदेश है । अतः अनुपस्थित अभियुक्तगण की पत्रावली पृथक कर गवाही करायी जाये ।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया । पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत मामलें में सभी अभियुक्तगण कारागार में निरूद्ध है । प्रशासन द्वारा अभियुक्त मनीष को जिला कारागार वस्ती में ,अभियुक्त मनोज उर्फ राम करन को जिला कारागार वलिया में , अभियुक्त संसार सिंह को जिला कारागार मुजफफरनगर मेंद एवं अभियुक्त शेखर को जिला कारागार ललितपुर में और अन्य अभियुक्तगण को जिला कारागार गाजियाबाद में निरूद्ध किया गया है ,सभी अभियुक्तगण जेल में निरूद्ध है । अतः सभी अभियुक्तगण को एकत्र कर ,अभियोजन साक्ष्य कराये जाने का प्रयास किया जा रहा है । अतः इस स्तर पर अभियुक्तगण की पत्रावली प्रथक कर गवाही दर्ज कराये जाने का आधार पर्याप्त नही होने के कारण प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है ।

अभियुक्त शेखर की ओर से जीवनभय का खतरा होने के कारण न्यायालय में पेशी में लाये जाने एवं वापस ललितपुर जिला कारागार ले जाते वक्त विशेष सुरक्षा गार्द व बुलैट प्रूफ जैकेट उपलब्ध कराये जाने हेतु जेल अधीक्षक ललितपुर व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ललितपुर को निर्देशित किये जाने की याचना के साथ ,प्रार्थनापत्र यह कहते हुए प्रस्तुत किया गया है कि उस पर पूर्व में जान से मारने की नीयत से हमला किया गया है। वर्तमान में प्रार्थी गाजियाबाद न्यायालय से करीब 600 किलोमीटर दूर जिला

कारागार ललितपुर में निरूद्ध है तथा उसे साधारण पुलिस गार्द के साथ पेशी मे गाजियाबाद लाया जाता है जिससे उसे जान का खतरा है । अभियुक्त के उक्त प्रार्थनापत्र की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु जेल अधीक्षक ललितपुर एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ललितपुर को भेजी जाये ।

विव्दान अधिवक्ता श्री राहुल चौधरी की ओर से एक प्रार्थनापत्र यह कहते हुए प्रस्तुत किया गया है कि प्रस्तुत मामलें में वह वादी की ओर से अधिवक्ता है । अभियुक्तगण उसके गांव के होने के कारण ,उससे रंजिश रखने लगे है तथा उसे केस को छोडने की धमकी दे रहे है । प्रार्थी को अभियुक्तगण से अपनी जान का भय है अतः प्रस्तुत मुकदमे के निस्तारण हेतु उसे पुलिस सुरक्षा मुहैया करायी जाये । उक्त प्रार्थनापत्र की प्रति वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गाजियाबाद को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाये ।

अभियुक्त विजय बहादुर की ओर से उसे ईलाज हेतु एम एम जी अस्पताल गाजियाबाद भिजवाने हेतु आर आई एवं एस एस पी गाजियाबाद को फोर्स उपलब्ध कराने हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है । उक्त प्रार्थनापत्र पर आर आई एवं एस एस पी गाजियाबाद की आख्या तलब हो ।

पत्रावली साक्ष्य हेतु दिनांक 24-10-2018 को पेश हो । सभी अभियुक्तगण नियत दिनांक के लिए सम्बन्धित जिला कारागार से तलब हो ।

अपर सत्र न्यायाधीश
कोर्ट सं० 13, गाजियाबाद